महत्वपूर्ण

संख्या:सी.पी. 727/29-8-2001-सी.पी. 27/88

प्रेषक,

श्री नवीन चन्द्र बाजपेई,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता फोरम
उत्तर प्रदेश ।

(2) समस्त सदस्यगण,
जिला उपभोक्ता फोरम,
उत्तर प्रदेश ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग -8 लखनऊ :: दिनांक :: 16 मई, 2001

विषय: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर किया जाना ।

महोदय,

उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों तथा जागरूक उपभोक्ताओं के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्ष तथा सदस्यगण या तो कार्य दिवसों में अधिकतर अनुपस्थित रहते हैं या समय से कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, परिणामस्वरूप फोरम में दायर वादों का निस्तारण अपेक्षित गति से सम्पन्न नहीं हो पाता है और उपभोक्ताओं को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम की बैठक में उपस्थित होने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

(1) जिन जिला उपभोक्ता फोरमों में पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य हैं वहाँ जिला उपभोक्ता फोरमों का समय सरकारी कार्यालयों की भाँति प्रातः दस बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा और उपस्थिति पंजिका पर प्रतिदिन पूर्णकालिक अध्यक्षों/सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर समय अंकित किया जायेगा ।

(2) जिन जिला फोरमों में अध्यक्ष पूर्णकालिक तथा सदस्य अंशकालिक रूप में कार्यरत हैं, वहाँ अध्यक्ष द्वारा अंशकालिक सदस्यों के लिए समय निर्धारित किया जायेगा तथा सदस्यों द्वारा उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर के साथ समय भी अंकित किया जायेगा ।

(3) जिन जिला उपभोक्ता फोरमों में अध्यक्ष और सदस्यगण दोनों ही अंशकालिक रूप में कार्यरत हैं। वहाँ अंशकालिक अध्यक्ष द्वारा फोरम की बैठक का समय निर्धारित किया जायेगा और सदस्यों को फोरम की बैठकों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा फोरम के अध्यक्ष व सदस्यगण उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर के साथ समय का भी अंकन करेंगे ।

भवदीय,